जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0-03/2023-24

सरकार

बनाम्

अजीमुद्दिन अंसारी

—: आदेश :—

दिनांक 30/3/24

विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–304/डी0सी0बी0 दिनांक–26.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने सुन्दरपहाड़ी थाना के अपराधकर्मी अजीमुद्दिन अंसारी, उम्र–करीब 45 वर्ष, पिता–स्व0 लालू मियाँ, सा0–घटियारी, थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा, जो झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2(डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी अजीमुद्दिन अंसारी, उम्र–करीब 45 वर्ष, पिता–स्व0 लालू मियाँ, सा0–घटियारी, थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसके द्वारा लम्बे अरसे से सुन्दरपहाड़ी थाना क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसे सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–73/16 दिनांक–04.12.2016 धारा–395 भा0द0वि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा से जमानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि यह एक परिभाषित असामाजिक तत्व है, जिसका कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों को भयादोहन करने हेतु लूट/डकैती/चोरी/गृहभेदन/छीनतई एवं अवैध हथियार रखकर घटना को अंजाम देने जैसे कई कांड अंकित किये गये है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव में किया गया है। इसके विरूद्ध सुन्दरपहाड़ी थानान्तर्गत काण्ड के अलावे असामाजिक गतिविधि के लिए सन्हा भी दर्ज किया गया है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह से भंग होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए अपराधकर्मी अजीमुद्दिन अंसारी, उम्र–करीब 45 वर्ष, पिता–स्व0 लालू मियाँ, सा0–घटियारी, थाना

–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से सुन्दरपहाड़ी थाना क्षेत्र के आस–पास के गॉव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर भयांक्रांत खौप, दहशत देखने को मिल रहा है। इसका पुष्टि सुन्दरपहाड़ी थाना में दर्ज सन्हा से प्रतीत होता है, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी कांण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–73/16 दिनांक–04.12.2016 धारा 395 भा0द0वि0
2. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–255/11 दिनांक–09.07.2011 धारा 379/411 भा0द0वि0
3. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–35/97 दिनांक–08.12.1997 धारा 395 भा0द0वि0

वर्तमान में उक्त के विरूद्ध दर्ज सन्हा :–

पथरगामा थाना दैनिकी सन्हा संख्या–21/23 दिनांक–01.06.2023 समय 21.30 बजे दर्ज काण्डों एवं सनहा से यह स्पष्ट है कि अजीमुद्दिन अंसारी, उम्र–करीब 45 वर्ष, पिता–स्व0 लालू मियाँ, सा0–घटियारी, थाना –सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) में परिभाषित असमाजिक तत्व है। जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि है। यह अपराधी जेल से जमानत पर छुटकर बाहर आया है। इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। इनके भय को आमजनों में कम करने के लिए इनकी निगरानी रखना आवश्यक है। जिसके लिए इन्हे थाना पर हाजिरी कराकर निगरानी रखने पर आमजनों मे दहशत का माहौल नियंत्रण रहेगा। उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध अपराध नियत्रंण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के

मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा जो गोड्डा(मु0) थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लोक शांति व्यवस्था वनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उक्त असामाजिक तत्व अजीमुद्दिन अंसारी, उम्र–करीव 45 वर्ष, पिता–स्व0 लालू मियाँ, सा0–घटियारी, थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा को लोक हित में निगरानी रखने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने की अनुशंसा की है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए अंतिम नोटिश दिया गया। अंतिम नोटिश देने के वाद भी विपक्षी न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अजीमुद्दिन अंसारी, उम्र–करीव 45 वर्ष, पिता–स्व0 लालू मियाँ, सा0–घटियारी, थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–73/16 दिनांक–04.12.2016 धारा 395 भा0द0वि0, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0–255/11 दिनांक–09.07.2011 धारा 379/411 भा0द0वि0 एवं सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–35/97 दिनांक–08.12.1997 धारा 395 भा0द0वि0 तथा पथरगामा थाना दैनिकी सन्हा संख्या–21/23 दिनांक–01.06.2023 समय 21.30 बजे सन्हा दर्ज है। विपक्षी के जेल से वाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत अजीमुद्दिन अंसारी, उम्र–करीब 45 वर्ष, पिता–स्व0 लालू मियाँ, सा0–घटियारी, थाना–सुन्दरपहाड़ी, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे माह जून 2024 तक लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 07 बजे से 08 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन श्री राम सुरत यादव, थाना प्रभारी, सुन्दरपहाड़ी, मो0 नं0–9431134785 के समक्ष दर्ज

कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, सुन्दरपहाड़ी को आदेश दिया जाता है कि वे अजीमुद्दिन अंसारी का प्रत्येक दिन का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार माह जून 2024 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, सुन्दरपहाड़ी को देगें तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

डी०वी० सं० 71 5/4/24 एवं 72 5/4/24

निर्गत।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:55:41 +05:30
Location: 192.168.1.9